UPSR010004282026

न्यायालय Special Judge(SC/ST), Shravasti

पीठासीन अधिकारी– (Sri Awanish Gautam), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) –**

UP01682

जमानत आवेदन-पत्र संख्या- 157/2026

1– रहमत अली उम्र करीब 56 वर्ष पुत्र बहिर चिकवा उर्फ हबीबउल्ला,

2– ताहिर अली उम्र करीब 31 वर्ष पुत्र वाहिद अली निवासी लक्ष्मणनगर थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती। ————————प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ————————————अभियोगी।

अपराध संख्या 03/2019
अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0
धारा 3 (1) (द), व धारा 3 (1) (ध)
एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र जमानत</u>

<u>दिनांक 12–03–2026</u>

यह जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र ई–फाइलिंग के उपरान्त इस न्यायालय को दिनांक 06–03–2026 को प्राप्त हुआ।

अभियुक्तगण रहमत अली व ताहिर अली की ओर से आत्म समर्पण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्तगण रहमत अली व ताहिर अली की ओर से यह नियमित जमानत प्रार्थना पत्र अपराध संख्या 03/2019 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3 (1) (द), व धारा 3 (1) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना सोनवा श्रावस्ती जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र जमानत मय शपथ पत्र में अभियुक्त द्वारा कथन किया किया है कि अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र प्रथम है। अभियुक्तगण का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी

अन्य न्यायालय पर न तो दिया गया है और न ही विचाराधीन है।

वादी मय अधिवक्ता उपस्थित हैं और उसकी ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गयी है।

जमानत आवेदन पर विद्वान ए0डी0जी0सी0, वादी के विद्वान अधिवक्ता, वादिनी मुकदमा एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी और विपक्षीगण बीच मुर्गी का खरीद फरोख्त होता था। घटना के 10 दिन पूर्व त्यौहार मे आये और कहा हमें मुर्गिया चाहिए प्रार्थी ने विपक्षीगण को दो कुन्तल तीन सौ ग्राम कीमत 22043/ रूपये दे दिया और विपक्षीगण ने कहा कि पैसा एक सप्ताह बाद देंगे। दिनांक 19—12—2018 को समय करीब 2 बजे दिन जब प्रार्थी ने विपक्षीगण से पैसा मांगा तो विपक्षीगण ने मां बहन की जातिगत गालियां दी मारे पीटे तथा जान से मारने की धमकी दी।

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। गलत तथ्यों के आधार पर फर्जी तरीके से फंसाये गये हैं। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अभियुक्तगण को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाये।

वादी मुकदमा द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की है।

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में लिये गये आधारों पर तर्क प्रस्तुत करते हुए जमानत की याचना की गयी।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया।

मामले में आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है जिसपर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप है कि उन्होने घटना की तिथि समय व स्थान पर वादिनी मुकदमा को मारने पीटने, गालियां देने तथा जान से मारने की धमकी देने एवं जनता के दृष्टिगोचर स्थल पर वादिनी जो कि अनुसूचित जाति की सदस्या है, को जातिगत गालियां देकर अपमानित किये जाने का आरोप है। दूसरी तरफ अभियुक्तण ने अभियोजन कथानक से इन्कार करते हुए कथन किया है कि अभियोगी ने उन्हें परेशान करने के लिए झूठा फंसा दिया है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। अभियुक्तगण पूर्व में अन्तरिम जमानत पर थे, उन्होने अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है। जहां तक वादी के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर दी गयी आपत्ति का प्रश्न है तो वह विचारणीय नहीं है क्योंकि इस स्तर पर मामले का निस्तारण गुण दोष के आधार पर नहीं किया जाना है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये अभियुक्त को

जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण रहमत अली व ताहिर अली प्रत्येक द्वारा 50–50 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें इन शर्तो के अधीन जमानत पर निर्मुक्त किया जाता है कि वे विचारण के दौरान साक्षियों को न तो डरायेंगे न धमकी देंगे तथा विचारण की कार्यवाही बाधित नहीं करेंगे।

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
श्रावस्ती।